27/7/23 वकील प्रार्थी व प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रारूप के आधार पर पत्रावली शिगद से तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रारूप प्रस्तुत कर निवेदन किया है इस प्रकरण में अब कोई आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः इस प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का अवलोकन किया गया बल्कि इन्हीं वाद प्रकरण में एक प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारूप की कार्यवाही

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कैलाश चन्द्र शर्मा प्र०मि०. 290/22 इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 7/11/2022 को स्वतः निरस्त माना जाये। [illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] का हो।	Bukul Advocate

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:10:36 IST
Reason: SelfAttested